

न्यायालय नायब तहसीलदार श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

मुकदमा नम्बर 35/2018 अंतर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956

उनवान : राज्य सरकार बनाम मंगतू देवी
निर्णय

आज पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का जैतासर अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत इस आशय की रिपोर्ट पेश की है कि गैर सायल मंगतू देवी पुत्री रावताराम जाति नायक निवासी आसासर हाल जैतासर द्वारा ग्राम जैतासर के खसरा नम्बर 1115/655 तादादी 21.26 है। किस्म भूमि गै.मु.गोचर भूमि में से 0.75 हैक्टेयर भूमि पर सम्बत् 2075 में नाजायज बाडा बनाकर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, अतः इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का अनुरोध किया है।

प्रकरण दर्ज कर रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 का नोटिस जारी कर तलब किया गया। गैर सायल को जारी नोटिस विधिवत् तामिल कराया गया, बाद नोटिस तामिल के गैर सायल वकील ने निर्धारित तारीख पेशी को न्यायालय में उपस्थित होकर नोटिस जवाब पेश करने हेतु समय चाहा गया परन्तु बार-बार समय दिये जाने के उपरान्त भी जवाब नोटिस पेश नहीं किया गया। जवाब नोटिस पेश नहीं करने पर गैर सायल को जवाब प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.12.2018 को समय दिया जाना बन्द किया गया एवं गैर सायल के विरुद्ध दिनांक 28.12.2018 को ईकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।


उक्त अतिक्रमित भूमि के संबंध में स्वामित्व बाबत कोई दस्तावेज/सबूत गैर सायल द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे उक्त भूमि पर इनका स्वामित्व साबित होता हो, जबकि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि गैर सायल द्वारा उक्त भूमि पर बाडा बनाकर अतिक्रमण किया है। गैर सायल द्वारा भूमि स्वामित्व संबंधित कोई संतोषजनक जवाब/प्रस्तुत न करने एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट में गैर सायल मंगतू देवी का उक्त खसरा नम्बर 1115/655 तादादी 21.26 है। गै.मु.गोचर भूमि में से 0.75 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण होना साबित होता है। गैर सायल मंगतू देवी अतिक्रमी की श्रेणी में आती है।

अतः गैर सायल मंगतू देवी पुत्री रावताराम जाति नायक निवासी आसासर हाल जैतासर द्वारा ग्राम जैतासर के आराजी ख.नं. 1115/655 तादादी 21.26 है। गै.मु. गोचर भूमि में से 0.75 हैक्टेयर भूमि का सम्बत् 2075 का अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखली का आदेश पारित किया जाता है तथा लगान 0.10 रुपये का 50 गुणा से 37.50 रुपये की शास्ती आरोपित की जाती है।

त.रा.ले. को मांग कायमी, पटवारी हल्का को शास्ती राशि वसूली एवं हल्का भू.अ.नि. को अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल करने एवं कब्जा बहक सरकार लेने हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.12.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।




न्यायालय नायब तहसीलदार
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)